राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

दूरभाषः—2415091-95, फेक्सः—0294 - 2410526

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC IV)/2024/ई—05255

ई—नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके क्रम संख्या 1 व 13 पर अंकित ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से दिनांक 31—03—2025 तक एवं क्रम संख्या 14 से 25 पर अंकित ठेकों की अवधि दिनांक 01.04.2024 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि जो भी बाद में हो, से 31—03—2026 तक रहेगी। निम्न ठेकों को वार्षिक ठेका राशि पर ई—नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :—

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	229	खनि अभियंता, सिरोही	जिला सिरोही की तहसील सिरोही, रेवदर, शिवगंज व पिण्डवाडा की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	325623100	19.02.2024	20.02.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	2	खनि अभियंता, नागौर	जिला नागौर की तहसील जायल के क्षेत्र बडी खाटू व जिला डीडवाना—कुचामन की तहसील डीडवाना के क्षेत्र छोटी खाटू की राजस्व सीमा में खनिज सैण्डस्टोन, पट्टी कातला, खण्डा एवं बैलास्ट के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन, पट्टी कातला, खण्डा व बैलास्ट	आरसीसी	सैण्डस्टोन, खण्डा व बैलास्ट	अधिशुल्क, डी.एम. एफ.टी.एवं आर.एस. एम.ई.टी	49208600	19.02.2024	20.02.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर

RajKaj Ref 5568956

Signature valid

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Additional Director
Date: 2024.02.08 15:54:07 IST
Reason: Approved

3	185, 186 व 187	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील आसीन्द, अण्टाली, हुरडा, रायपुर, सहाडा, हमीरगढ, भीलवाडा, माण्डल व करेडा जिला ब्यावर की तहसील बदनोर एवं जिला शाहपुरा की तहसील बनेड़ा की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फैल्सपार, माईका व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फैल्सपार, माईका, केलसाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फैल्सपार, माईका व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	223807300	19.02.2024	20.02.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.
4	163	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	लाईमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	368381600	19.02.2024	20.02.2024	11.30 ए.एम. से 01.30 पी. एम.
5	263	खनि अभियंता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज सिलिकासेण्ड, डोलोमाईट, व्हाईट क्ले, चाईना क्ले, बॉल क्ले, येलो ऑकर, एवं रेड ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिकासेण्ड, डोलोमाईट, व्हाईट क्ले, चाईना क्ले, बॉल क्ले, येलो ऑकर, एवं रेड ऑकर	ईआरसीसी	सिलिकासेण्ड, डोलोमाईट, व्हाईट क्ले, चाईना क्ले, बॉल क्ले, येलो ऑकर, एवं रेड ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	35278700	19.02.2024	20.02.2024	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.
6	91	खनि अभियंता, बूंदी–ग	जिला बून्दी की तहसील हिण्डोली की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	25033400	19.02.2024	20.02.2024	01.30 पी.एम. से 03.30 पी. एम.
7	57	सहायक खनि अभियन्ता कोटपुतली	जिला कोटपूतली–बहरोड की तहसील कोटपूतली व पावटा की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज मार्बल व लाईमस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल व लाईमस्टोन	ईआरसीसी	अप्रधान लाईमस्टोन एवं मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	40328900	19.02.2024	20.02.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.

RajKaj Ref 5568958

Signature valid
Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Additional Director
Date: 2024.02.08 15:54:07 IST
Reason: Approved

8	245	खनि अभियंता, राजसमंद–II	जिला राजसमंद की तहसील नाथद्वारा, खमनोर व देलवाड़ा की राजस्व सीमा में खनिज लाईम स्टोन (बर्निंग एवं चिप्स) एवं मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईम स्टोन (बर्निंग एवं चिप्स) एवं मार्बल (SMS GRADE (L.D. GRADE) incidental to Other grade of Limestone	ईआरसीसी	लाईम स्टोन (बर्निंग एवं चिप्स) एवं मार्बल (SMS GRADE (L.D. GRADE) incidental to Other grade of Limestone को छोड़ते हुए)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	21312500	19.02.2024	20.02.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी. एम.
9	249	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला ब्यावर की तहसील बदनोर की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज फिलाईट शिष्ट	आरसीसी	फिलाईट शिष्ट	अधिशुल्क, डी.एम. एफ.टी. एवं आर.एस. एम.ई.टी	8407500	19.02.2024	20.02.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.
10	257	खनि अभियंता, सीकर	जिला सीकर की तहसील खण्डेला की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल /खण्डा के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल/ मार्बल खण्डा	ईआरसीसी	मार्बल/ खण्डा	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	34007100	19.02.2024	20.02.2024	03.30 पी.एम. से 05.30 पी. एम.
11	11 व 12	खनि अभियन्ता ब्यावर	जिला ब्यावर की तहसील रायपुर की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर व ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर व ग्रेनाईट	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर व ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	41423400	19.02.2024	20.02.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
12	107	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर (ग्रामीण) की तहसील बिलाडा व पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2380600	19.02.2024	20.02.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
13	38	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर (ग्रामीण) की तहसील बस्सी, तुंगा, चाकसू, एवं तहसील सांगानेर (सांगानेर का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) में आने वाले भाग को छोड़कर) की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, गिट्टी, मार्बल एवं क्वार्ट्जाईट	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, गिट्टी, मार्बल एवं क्वार्ट्जाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	140292200	11.03.2024	12.03.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

RajKaj Ref 5568958

Signature valid

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Additional Director
Date: 2024.02.08 15:54:07 IST
Reason: Approved

14	50 (51, 52)	सहायक खनि अभियंता, टोंक	जिला टोंक की संपूर्ण राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट	ईआरसीसी	चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	10607500	11.03.2024	12.03.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
15	201 (215)	खनि अभियन्ता ब्यावर	जिला ब्यावर की तहसील ब्यावर, मसूदा, विजयनगर व टाडगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन, शिष्ट व फिलाईटशिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन, शिष्ट व फिलाईटशिष्ट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन, शिष्ट व फिलाईटशिष्ट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	10076700	11.03.2024	12.03.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.
16	177	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक	जिला टोक की संपूर्ण राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फैल्सपार, माईका एवं सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फैल्सपार, माईका एवं सिलिका सैण्ड	ईआरसीसी	क्वार्टज, फैल्सपार, माईका एवं सिलिका सैण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	67553200	11.03.2024	12.03.2024	11.30 ए.एम. से 01.30 पी. एम.
17	183	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला शाहपुरा की तहसील जहाजपुर, काछोला, कोटड़ी, बनेड़ा व जिला भीलवाड़ा की तहसील भीलवाड़ा, माण्डलगढ़, हमीरगढ़ व सवाईपुर की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, पायरोफलाईट, डोलोमाईट, चाईनाक्ले, रेड ऑकर व येलो ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, पायरोफलाईट, डोलोमाईट, चाईनाक्ले, रेडऑकर व येलो ऑकर	ईआरसीसी	सोपस्टोन, पायरोफलाईट, डोलोमाईट, चाईनाक्ले, रेडऑकर व येलो ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	212986500	11.03.2024	12.03.2024	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.
18	184	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला शाहपुरा की तहसील जहाजपुर, काछोला, कोटड़ी, शाहपुरा, फुलियाकलां व जिला भीलवाड़ा की तहसील माण्डलगढ़, व सवाईपुर की राजस्व सीमा में खनिज अभ्रक, फेल्सपार, क्वार्टज, सिलिकासेण्ड व केल्साईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज अभ्रक, फेल्सपार, क्वार्टज, सिलिकासेण्ड व केल्साईट	ईआरसीसी	अभ्रक, फैल्सपार, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	25374300	11.03.2024	12.03.2024	01.30 पी.एम. से 03.30 पी. एम.

RajKaj Ref
5568958

Signature valid

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Additional Director
Date: 2024.02.08 15:54:07 IST
Reason: Approved

19	84	खनि अभियन्ता बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील बाड़मेर ग्रामीण के गांव भाड़खा, कपूरड़ी व रोहिली की राजस्व सीमा में खनिज मुलतानी मिट्टी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मुलतानी मिट्टी	ईआरसीसी	मुलतानी मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2929600	11.03.2024	12.03.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.
20	225	सहायक खनि अभियंता, सलूम्बर	जिला सलुम्बर की तहसील सलुम्बर व लसाडिया की राजस्व सीमा में खनिज मारबल व मेसेनरी स्टोन प्रभावशील खनन पट्टा क्षेत्र से निर्गमित खनिज मार्बल एवं मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मार्बल एवं मैसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	17891700	11.03.2024	12.03.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी. एम.
21	100 (247)	खनि अभियंता, उदयपुर	संपूर्ण जिला उदयपुर (तहसील ऋषभदेव, खेरवाड़ा व नयागांव को छोड़कर) एवं जिला सलुम्बर की तहसील सराडा व सेमारी की राजस्व सीमा में खनिज मारबल, सरपेन्टाईटन, ग्रेनाईट, लाईमस्टोन, फिलाईटशिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मारबल, सरपेन्टाईटन, ग्रेनाईट, लाईमस्टोन, फिलाईट	ईआरसीसी	मारबल, सरपेन्टाईटन, ग्रेनाईट, लाईमस्टोन, फिलाईट (शिड्यूल–II के अनुसार समस्त गुणवत्ता / आकार / माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	89418100	11.03.2024	12.03.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.
22	104 (155)	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण की तहसील जमवारामगढ़, आंधी, आमेर, रामपुरा, डाबडी व जालसू की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	239953500	11.03.2024	12.03.2024	03.30 पी.एम. से 05.30 पी. एम.
23	251	खनि अभियंता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ.टी एवं खातेदारी भूमि में खनिज जिप्सम के परमिट क्षेत्रों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, प्रीमियम शुल्क, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी व आरएसएमईटी	आरसीसी / ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, प्रीमियम शुल्क, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी एवं आरएसएमईटी	199781700	11.03.2024	12.03.2024	03.30 पी.एम. से 05.30 पी. एम.

RajKaj Ref
5608958

Signature valid

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Additional Director
Date: 2024.02.08 15:54:07 IST
Reason: Approved

24	235	खनि अभियंता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बावडी एवं तिवरीं की राजस्व सीमा में खनिज रॉयोलाईट, सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रॉयोलाईट, सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	रॉयोलाईट, सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	35800500	11.03.2024	12.03.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
25	226	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की संपूर्ण सीमा में खनिज बजरी, ग्रेवल, कंकर, मुर्रम, बालक्ले, फायरक्ले, चायनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सेण्ड, व्हाईट क्ले व मुल्तानी मिट्टी के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज बजरी, ग्रेवल, कंकर, मुर्रम, बालक्ले, फायरक्ले, चायनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सेण्ड, व्हाईट क्ले व मुल्तानी मिट्टी	ईआरसीसी	बजरी, ग्रेवल, कंकर, मुर्रम, बालक्ले, फायरक्ले, चायनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सेण्ड, व्हाईट क्ले व मुल्तानी मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1366505200	11.03.2024	12.03.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.

(अ) <u>महत्वपूर्ण शर्तें–</u>

1 ई–नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रूपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रूपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।

2 ठेकों की वार्षिक राशि ई–नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होगें। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्जेज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।

RajKaj Ref
2563958

3 ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण /सबलेट तथा अर्द्यपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।

4 ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारीं लाईसेंस /परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा /क्वारीं लाईसेंस /परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

5 ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते है। परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिवस में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार उच्चतम बोली राशि के अनुसार निर्धारित क्लास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।

6 वार्षिक ठेका राशि रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर कम्प्यूटराईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।

7 ई–नीलामी हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय–समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Additional Director
Date: 2024.02.08 15:54:07 IST
Reason: Approved

8 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 की वेबवाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रियाः–

1 ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स एमएसटीसी लि0 के पोर्टल पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा मेसर्स एमएसटीसी लि0 के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

2 ई–नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्पलेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141–2742208 व ई–मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।

3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास–II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।

4 ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मेसर्स एमएसटीसी लि0 के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन करना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रूपये 10000/– व जी.एस.टी. मेसर्स एमएसटीसी लि0 में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स एमएसटीसी लि0 में भेजने की आवश्यकता नही है।

(स) ई–नीलामीं की प्रक्रिया :–

1 ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर मेसर्स एमएसटीसी लि0 में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग–अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस–जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।

2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिरे से प्रारंभ नहीं होगी।

3 अमानत राशिं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।

4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई–नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा।

5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स एमएसटीसी लि0 को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

Signature valid

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Additional Director
Date: 2024.02.08 15:54:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 5568958

6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढा सकता है । नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रूपये के गुणांक (multiple) में बढाई जा सकेगी।

7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होगें:—

i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई—नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।

ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ—पत्रः— यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/— के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ—पत्र तैयार किया जावें।

1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोट—शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफीकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

vi PAN card / GSTIN की प्रति।

vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की क्लास अनुसार)

8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई—ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(जय. के. गुरूबक्षाणी)
अतिरिक्त निदेशक (खान मु0)

Signature valid

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Additional Director
Date: 2024.02.08 15:54:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 5568956

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC IV)/2024/ई–05255

प्रतिलिपि :–

1– शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम॰ एस॰ टी॰ सी॰ लि0 की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

अ– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब – अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स– खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द–I/ II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

द –सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर/ खेतड़ी।

(जय. के. गुरूबक्षाणी)
अतिरिक्त निदेशक (खान मु0)

RajKaj Ref
5568958

Signature valid

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Additional Director
Date: 2024.02.08 15:54:07 IST
Reason: Approved